

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन  
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 73 /293/12/वित्त/नियम/चार/  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21 मार्च, 2012

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

**विषय:-** छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत संबंधी  
आदेशों में संशोधन।

**संदर्भ:-** वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 29/20/वित्त/नियम/चार/2010, 27.01.10,  
118/115/वित्त/नियम/चार/2010, 01.05.2010, 93/293/वित्त/नियम/चार/  
2011, 30 मार्च, 2011, 193/293/वित्त/नियम/चार/2011, 21जून, 2011,  
407/293/वित्त/नियम/चार/2011, 13 दिसम्बर, 2011 ।

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापनों द्वारा प्रत्याशित पेंशन/पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों  
को महंगाई राहत के संबंध में आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेशों के कंडिका  
2 में ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2009 दिनांक 20.07.2009 अंकित है, जो  
त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त ज्ञापन के स्थान पर 211/379/वित्त/नियम/चार/2007 दिनांक  
24.07.2007 पढ़ा जाय।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी)

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग